अध्याय IV: रक्षा मंत्रालय-तटरक्षक

4.1 एक पोत निर्माणी को विदेशी विनिमय दर में अन्तर के कारण ₹5.23 करोड़ का अनियमित भुगतान

भारतीय तटररक्षक ने संविदागत प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण विदेशी विनिमय दर में अन्तर के रूप में मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा को ₹5.23 करोड़ का भुगतान किया।

रक्षा अधिप्राप्ति पद्धति (डी॰पी॰पी) 2011 के अनुसार, जब तक आयातित सामान की सुपुर्दगी अवधि क्रेता को आरोप्य कारणों से न बढ़ाई गई हो तब तक विनिमय दर परिवर्तन (ई॰आर॰वी) शर्त लागू नहीं होती।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की संस्वीकृति (मई 2012) के अनुसरण में, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली ने ₹1,979.61 करोड़ की लागत पर छः अपतटीय निगरानी पोतों (ओ॰पी॰वीज़) के निर्माण तथा सुपुर्दगी हेतु मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी॰एस॰एल), गोवा के साथ एक संविदा किया (मई 2012)। डी॰पी॰पी 2011 के अनुरूप ई॰आर॰वी प्रावधान संविदा में शामिल किया गया था। तद्नुसार, मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा ने दो ओ॰पी॰वीज़ के निर्माण हेतु एक मद 'स्टर्न गियर[1]' की अधिप्राप्ति हेतु €1,637,455[2] की इकाई लागत पर मैसर्स वार्टसिला, फ्रांस को दो क्रय आदेश (पी॰ओ) दिए (अगस्त 2012) जिनकी सुपुर्दगी सितम्बर तथा दिसम्बर 2013 में की जानी थी जो क्रमशः तीन तथा दो बार बढ़ाई गई थी। स्टर्न गियर की सुपुर्दगी अप्रैल 2014 में की गई थी तथा मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा ने विलम्ब हेतु फर्म पर निर्णीत हर्जाने (एल॰डीज़) लगाए।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2016) कि पी॰ओज़ के अनुसार, मैसर्स वार्टसिला, फ्रांस को भुगतान दो चरणों अर्थात चरण-I तथा चरण-II अर्थात क्रमशः 10 तथा 90 प्रतिशत में किया जाना था तथा मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा ने प्रचालित विदेशी विनिमय दर (एफ॰ई प्रति यूरो ₹80.17 और ₹85.01 के बीच थी) के अनुसार 'स्टर्न गियरों' के लिए दो क्रय आदेशों (चरण-II भुगतान) के प्रति मैसर्स वार्टसिला, फ्रांस को यूरो 1,391,836.75 की राशि का भुगतान किया (मार्च 2014 तथा जून 2014 के बीच)। चूंकि अनुबंध में तय की गई आधार विनिमय दर ₹66.44 प्रति यूरो थी, मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा ने ई॰आर॰वी के कारण, भारतीय तटरक्षक पर अतिरिक्त ₹4.58 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान (चरण-I तथा चरण-II भुगतान) का दावा किया। भारतीय तटरक्षक द्वारा मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा को इस दावे के प्रति किया गया वास्तविक भुगतान

[1] स्टर्न गियर - एक महत्वपूर्ण उपकरण हे जो एक पोत को प्रणोदन के लायक बनाता है।

[2] € यूरो मुद्रा का प्रतीक है।

₹4.50 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने इस भुगतान के कारण पूछे (मार्च/अगस्त 2016) क्योंकि 'स्टर्न गियरों' की आपूर्ति में विलम्ब फर्म के कारण हुआ था तथा ई॰आर॰वी का भुगतान अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि भारतीय तटरक्षक द्वारा मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा को ₹0.73 करोड़ की ई॰आर॰वी का भुगतान (चरण-I) शेष चार पोतों के लिए किया गया था।

तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली ने लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया (अक्तूबर 2016) और कहा कि तटरक्षक रीफिट तथा उत्पादन अधीक्षक (सी॰जी॰आर॰पी॰एस), गोवा द्वारा ई॰आर॰वी खण्ड की व्याख्या संविदा के इरादे के अनुरूप नहीं थी तथा तद्नुसार, सी॰जी॰आर॰पी॰एस, गोवा को मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा से गलत ढंग से प्रतिपूर्ति की गई ई॰आर॰वी की वसूली करने का निर्देश दिया गया था (अक्तूबर 2016)। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य चार पोतों के प्रति मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा द्वारा चरण-II के प्रति प्रस्तुत ई॰आर॰वी बिलों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, भारतीय तटरक्षक द्वारा संविदागत खण्ड की गलत व्याख्या के कारण मैसर्स जी॰एस॰एल, गोवा को ई॰आर॰वी के प्रति ₹5.23[3] करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।

नई दिल्ली **(प्रमोद कुमार)**
दिनांक: 4 मई 2017 **प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौसेना)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 5 मई 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

[3] ₹5.23 करोड़ = ₹4.50 करोड़ + ₹0.73 करोड़